न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण सं. 460/2026

अनिल पुत्र श्रवण राम, उम्र-23 वर्ष, निवासी-पुरोहितों की ढ़ाणी, तुलेसर पुरोहितान, पुलिस थाना-बालेसर, जिला-जोधपुर ग्रामीण (राज.)

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, पाली। .... **अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, 2023
सेशन प्रकरण सं. **34/2026** राज. राज्य बनाम **मनोहर वगैरा**
सीआर नंबर **64/2025** पुलिस थाना **रोहट**, **जिला पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **8/15, 8/18 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस.**
गिरफ्तारी की दिनांक 01.06.2026

उपस्थित:-
1. **श्री सुनील जैन,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास,** विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक **04.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल** की ओर से जरिए अधिवक्ता इस प्रकरण में नियमित जमानत हेतु यह प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, 2023 दिनांक 02.06.2026 को पेश किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी एवं संबंधित पत्रावली तलब की गयी। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्को पर मनन किया गया।

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में सह-अभियुक्त प्रकाश की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह-अभियुक्त प्रकाश से अधिक गंभीर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को जिस सीडीआर बीटीएस एवं टॉवर लोकेशन के आधार पर बरामदगी से जोड़ा गया है, वे सीडीआर बीटीएस एवं टॉवर लोकेशन अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि उक्त सीडीआर, बीटीएस एवं टॉवर लोकेशन किस पत्राचार/साधन से मांगी एवं प्राप्त की गयी इस बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण में सह-अभियुक्त मनोहर व प्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है एवं प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के निरन्तर अभिरक्षा में रहने से उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पडेगा और उसके परिवार को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाये।

3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अभिवचनों एवं तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया कि प्राथी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी. क्रिमी. बेल एप्लीकेशन नंबर 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** में दिये गये निर्देशानुसार अभियेाजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है :-

Sr. No.	*FIR No.*	*P.S.*	*Case No.*	*Section*	*Release on any previous occasion (If any)*
1	*03/06.1.22*	डांगियावास	*122/14.10.24*	*420, 467,468,465, 472, 482, 379/511* भादंसं	पेण्डिग कोर्ट

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत उभय पक्षीय तर्को एवं प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की केस डायरी एवं संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 27 व 28.03.2025 की मध्य रात्रि समय 1.30 ए.एम. पर प्रशिक्षु आई.पी.एस. आशिमा वासवानी थानाधिकारी पुलिस थाना डांगियावास द्वारा जरिये मोबाईल थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली पाना चौधरी को बताया कि दो क्रेटा कार (एक सफेद व एक काला रंग) ने उसके थाना क्षेत्र सांवलता कला की तरफ प्रवेश किया है जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है जिसका वह पीछा कर रही है। उक्त इतिला पर थानाधिकारी मय जाप्ता उक्त हुलिये की कारों की तलाश करती हुई कलाली से भाकरीवाला की तरफ जाने पर, दो वाहनों के आगे पीछे भागने की लाईट नजर आई जिनका पीछा किया गया तो उक्त दोनों कार आगे पीछे सरहद भाकरीवालाल में बावरीयों के खेतों में घुस गई व आगे पानी की नहर व रास्ता बंद होने से उक्त दोनों कार में सवार व्यक्ति कार को छोड़कर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। वक्त 5.15 ए.एम. पर नियमानुसार तलाशी लेने पर **सफेद रंग की क्रेटा कार नंबर** GJ 38 BF 5187 की पीछे की सीटों के स्थान व पीछे की डिक्की में 13 काले रंग के प्लास्टिक कट्टे व एक सफेद रंग का प्लास्टिक कट्टा मिला जिन्हे खोलकर चेक किया तो **13 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में कट्टों सहित कुल 236.410 किलोग्राम डोडा पोस्त** तथा **सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे में 07 पारदर्शी थैलियों में थैलियों सहित कुल 15.140 किलोग्राम अफीम का दूध** तथा **काले रंग की क्रेटा कार नंबर** RJ 45 CQ 5051 की पीछे की सीटों के स्थान व पीछे की डिक्की में **14 प्लास्टिक के काले रंग के कट्टे व 03 प्लास्टिक के पीले कलर के कट्टे कुल 17 कट्टो में कट्टो सहित कुल 267.940 किलोग्राम डोडा पोस्त,** इस प्रकार **दोनो क्रेटा कारों में कुल 504.350 किलोग्राम डोडा पोस्त व 15.140 किलोग्राम अफीम का दूध अवैध मादक पदार्थ बरामद** हुआ.... आदि।

6. उक्त बरामदगी पर पुलिस थाना **रोहट जिला पाली** में यह प्रकरण संख्या 64/2025, धारा **8/15,18 एनडीपीएस एक्ट** में दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोपीगण छगन उर्फ सज्जन, महेश, **प्रार्थी/अभियुक्त अनिल,** दिनेश, सतीश, कन्हैयालाल उर्फ कान्हा व आकाश के विरूद्ध धारा 193(9) बीएनएसएस के तहत अनुसंधान लंबित रखते हुए अभियुक्तगण मनोहर व प्रकाश के विरूद्ध धारा **8/15, 8/18 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस.व धारा 336 (3), 340(2), 345, 346, 111(2) (बी), 61(2)** BNS, 2023 के तहत

आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में धारा 8/15, 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

7. अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार दोनो क्रेटा गाडीयों में जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त कुल 504.350 किलोग्राम कन्हैयालाल उर्फ कान्हा व सतीश द्वारा अभियुक्तगण दिनेश, महेश **अनिल,** मनोहर को भरवाया जाना, अफीम का दूध दिनेश द्वारा महेश को भरवाया जाना व उक्त स्थान से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा क्रेटा कार से एस्कोर्ट करना दर्शित है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर उक्त अवैध मादक पदार्थ भरवाने के स्थानों एवं प्रार्थी/अभियुक्त व प्रकाश द्वारा एस्कोर्ट की जा रही कार के पुलिया से टकराने पर क्षतिग्रस्त होने पर उसे छोडकर भागने के स्थान की मौका तस्दीक करवायी गयी है।

8. माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा SB CRLMB No **861/2020, खेतसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य** में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में सह-अभियुक्त प्रकाश की जमानत याचिका माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा SB CRLMB No **2388/2026** में पारित आदेश **दिनांक 27.03.2026** द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त अभियुक्त से भिन्न नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को भी जमानत का लाभ दिया जाये। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले के अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में सह-अभियुक्त प्रकाश को **दिनांक 08.08.2025** को गिरफतार किया गया एवं उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **दिनांक 27.03.2026** को स्वीकार की गयी एवं वह लंबे समय तक अभिरक्षा में रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रार्थी/अभियुक्त अपनी गिरफतारी से बच रहा था, इस कारण उसके विरूद्ध अनुसंधान पेण्डिग रखा गया। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्त प्रकाश से भिन्नता लिये हुए प्रकट होता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रकरण में **सहअभियुक्त मनोहर** की जमानत माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं हुई है।

9. प्रकरण में **दो क्रेटा कारों में भारी मात्रा में कुल 504.350**

किलोग्राम डोडा पोस्त व 15.140 किलोग्राम अफीम का दूध अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी होना बताया गया है। वाणिज्यिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद होने के कारण धारा 37 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं, जिनके अनुसार इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में अपराध के मामले में जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता हो, वहां अभियुक्त को जमानत या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जायेगा जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं हुआ है।

10. अतः प्रकरण के सभी तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, प्रार्थी/अभियुक्त के आचरण को देखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विस्तृत टिप्पणी किया जाना एवं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

11. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल पुत्र** श्रवण राम, उम्र-23 वर्ष, निवासी-पुरोहितों की ढ़ाणी, तुलेसर पुरोहितान, पुलिस थाना-बालेसर, जिला-जोधपुर ग्रामीण (राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, 2023 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

12. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.04 18:19:19 IST